कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 420/ FP/UK/MIN/46859/2020 देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–टिहरी गढ़वाल में चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी रेंज में उपखनिज चुगान कार्यो हेतु 190 हे0 वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
Online proposal NO- FP/UK/MIN/46859/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रयोजन हेतु वन विकास निगम, देहरादून द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 190 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, भगीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

11/8/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/MIN/46859/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की **मूल प्रति एवं पार्ट I से IV** तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
6. वन विकास निगम, 15/15 कालीदास रोड, डोभालवाला, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद–टिहरी गढ़वाल में चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी रेंज में उपखनिज चुगान कार्यो हेतु 190 हे0 वन विकास निगम को 10 वर्षों की अवधि के लिये अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
Online proposal NO- FP/UK/MIN/46859/2020

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

जनपद–टिहरी गढ़वाल में चन्द्रभागा नदी, शिवपुरी रेंज में उपखनिज चुगान कार्यो हेतु 190 हे0 आरक्षित वन भूमि से उप खनिजों का चुगान किया जाना प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया है कि उपरोक्त उप खनिज चुगान हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (डी0 जे0 के0 शर्मा)
अ0प्र0व0सं0 एवं नो0 अधिकारी (व0सं0)
उत्तराखण्ड, देहरादून

तिथि : 11 / 08 / 2020
स्थान : देहरादून